

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
वि.पू.भु./04 भोपाल-2001.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर 2001—अग्रहायण 5, शक 1923

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2001

क्र.-(41)-बी-1-103-2001-वा. कर-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश में स्थित कैथोलिक चर्चों के द्वारा उपयोग की जाने वाली सेक्रामेंटल वाइन को आबकारी भुगतान से छूट प्रदान करता है.

2. यह अधिसूचना इसके "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2001

क्र.-(41)-बी-1-103-2001-वा. कर-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-(41) बी-1-103-2001-वा. कर-पांच दिनांक 26 नवम्बर, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

Bhopal, the 26th November 2001

No. (41) B-1-103-2001-CTD-V. —In exercise of the powers conferred by Section 25 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby exempts **Sacramental Wine** used by the Catholic Churches of Madhya Pradesh from Payment of Excise Duty.

2. This notification shall come into force with effect from its publication in "Madhya Pradesh Gazette."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D. D. AGARWAL, Dy. Secy.

1275